अपील /16/2022 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रतनसिंह पुत्र सामन्ता जाति जाटव निवासी ग्रांम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1– निरोत्तम पुत्र गुट्टेराम जाति जाटव निवासी ऊँचा गांव तहसील व जिला भरतपुर

.....असल रेस्पो0

2–बलवीर पुत्र पन्ना ।
3–गिर्राज पुत्र पन्ना । जाति काछी निवासी खरैरा तहसील व जिला
4–भूरा पुत्र पन्ना । भरतपुर
5–करुआ पुत्र पन्ना ।
6–खूबी पुत्र रघुवीर ।
7–डूँगर सिंह पुत्र रघुवीर ।

.....तरतीवी रेस्पो0

अपील विरुद्ध तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 13–06–2022 प्रकरण संख्या 01/2020 उनवान निरोत्तम बनाम बलवीर ।

उपस्थित :–
1–श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 26.7.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 13–06–2022 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 0.49 के 1/2 हिस्सा कब्जे काश्त आराजी से बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। तहसीलदार भरतपुर के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्टान ने यह अपील पेश की गई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि रेस्पो. ने तहत न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र 183बी पेश किया गया है। रेस्पो ने प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 373/0.49 में से 2 बीघा अर्थात 32 ऐयर का स्वयं को खातेदार बताते हुये 2 बीघा से अप्रार्थीगण से कब्जा दिलाये जाने की मांग की है। राजस्व अभिलेख अनुसार प्रार्थी 49 ऐयर में 1/2 हिस्सा 32 ऐयर बनता ही नहीं है, अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज है और गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का कोई आंबटन नहीं हो सकता है। विवादित आराजी वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रही है। अदालत तहत ने रास्ते में आ रही भूमि को छोडते हुये अपीलान्ट के हिस्से की आराजी के सम्बन्ध में नियम विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी को काश्त हेतु तरतीवी रेस्पो0 को दे रखा है, तरतीवी रेस्पो संख्या 2 ने अनाधिकृत कब्जा नहीं किया है, अपीलान्ट को अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करवाने का व आराजी पर मजदूरी करवाने का पूरा अधिकार है। अपीलान्ट स्वयं अनुसुचित जाति का सदस्य है और एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति व्यक्ति के विरुद्ध धारा 183बी आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता है। अदालत तहत के निर्णय से पूर्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय एस.डी.ओ. भरतपुर के समक्ष दावा पेश किया हुआ है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 10.6.2022 को जारी किया गया है, स्थगन आदेश होते हुये भी तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध पारित कर दिया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो–1 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने विधिवत आदेश पारित किया है। साविक आराजी खसरा नम्बर 296 रकवा 2 बीघा का आंबटन दिनांक 26.11.1976 को हुआ था, उक्त साविक खसरा नम्बर 296 से हाल बंदोबस्त खसरा नम्बर 373 रकवा 0.49 एयर का बनाया गया है। जिस पर रेस्पो–1 लगभग 43 साल से लगातार काश्त करता चला आ रहा है, विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में रेस्पो.1 के नाम दर्ज है। रेस्पो निरोत्तम अनुसूचित जाति का सदस्य है। रेस्पो निरोत्तम की आराजी पर रतनसिंह वगे0 ने गैतवाडे बना लिये है। तहसीलदार ने रतनसिंह वगे0 के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुये नियमों के अन्तर्गत प्रार्थी के हिस्से आराजी से बेदखल करने की आज्ञा सही पारित की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। पत्रावली तहत के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी निरोत्तम पुत्र गुट्टेराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध बलवीर वगे0 के खिलाफ तहत न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र 183बी आर.टी.एक्ट पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.6.22 को प्रार्थना पत्र 183बी आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के आराजी खसर नम्बर 373 रकवा 0.49 के 1/2 हिस्सा कब्जे काश्त आराजी से तुरन्त प्रभाव से बेदखल किये जाने के आदेश दिया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 373 रकवा 0.49 ऐयर गैर मुमकिन रास्ता पर (1)निरोत्तम पुत्र गुट्टेराम हिस्सा 1/2 जाति जाटव (2) रतनसिंह पुत्र सामन्ता हिस्सा 1/2 जाति जाटव खातेदार दर्ज है। यानि निरोत्तम एवं रतनसिह विवादित आराजी खसरा नम्बर 373 रकवा 0.49 पर बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं, यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी का बटवारा नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि तहत न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 373 रकवा 0.49 के कोन से 1/2 हिस्से से अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को बेदखल किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का तारीखी 11.05.2022 में अंकित किया है –

"……खसरा नम्बर का मौका देखा गया मौके पर मौजूद व्यक्तियों से जानकारी करने पर इन्होने बताया कि खसरा नम्बर 373 पर बलवीर, गिर्राज, भूरा, करुआ पुत्रगण रघुवीर जाति कुशवाह (काछी) निवासी ग्रांम खरैरा का कब्जा है इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा न होना बताया गया…… ।"

उक्त रिपोर्ट पटवारी से यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 373 के सम्पूर्ण रकवे पर बलवीर, गिर्राज, भूरा, करुआ पुत्रगण रघुवीर जाति कुशवाह (काछी) का कब्जा है। अपीलान्ट ने अपील की मद संख्या 6 में यह कथन किया है कि – "…… अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी को काश्त हेतु तरतीवी रेस्पो0 को दे रखा है तरतीवी रेस्पो. ने अनाधिकृत कब्जा नहीं किया हुआ है…… ।"

पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि नकल के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट रतनसिंह पुत्र सामन्ता ने एक दावा नम्बर 149/2022 विरुद्ध निरोत्तम पुत्र गुट्टेराम के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट में दिनांक 10.6.2022 को स्टे जारी किया हुआ है जो इस प्रकार है–

……4

जिला कलक्टर
भरतपुर

"....अतः आदेश है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि बांके ग्रांम खरैरा तहसील व जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 373/0.49 हे0 में दिनांक 12.7.2022 तक विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें..... ।"

उक्त स्थगन एवं विचाराधीन दावा से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के बटवारे को लेकर पक्षकारान के मध्य दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार भरतपुर भी प्रतिवादी संख्या–2 वनाया हुआ है। विवादित आराजी पर दिनांक 10.6.2022 को स्टे भी जारी किया हुआ है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2022 को पारित किया है, दिनांक 10.6.2022 के स्थगन आदेश से तहसीलदार भी दावा में पक्षकार होने के नाते पाबन्द था। तहसीलदार भरतपुर को स्थगन आदेश के दौराने विवादित आराजी पर कोई आदेश पारित करने से बचना चाहिये था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक विवादित आराजी का बटवारा नहीं हो जाता तव तक विवादित आराजी के सहखातेदार भूमि के प्रत्येक इंच हिस्से पर कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने प्रतिवादी0 को विवादित आराजी के किस हिस्से से बेदखल किया गया है स्पष्ट नहीं होता है। अस्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2022 को समर्थन योग्य नहीं पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2022 का क्रियान्वयन ताफैसला दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर स्थगित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस तहसीलदार भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर